



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी

भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

क्र. 3546 /SEIAA/2022

दिनांक: 24.3.22

प्रति,

कलेक्टर,

जिला - ग्वालियर (म.प्र.)

विषय:-प्रकरण क्र. 9007/2022 - परियोजना प्रस्तावक श्री तरनजीत सिंह बेदी आत्मज स्व. श्री अमरजीत सिंह बेदी, निवासी श्याम टाकीज, तहसील एवं जिला छिंदवाडा (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता स्टोन 49,379 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 364/2, रकबा 3.744 हेक्टेयर, ग्राम भानदेही, तहसील एवं जिला छिंदवाडा ग्वालियर (म.प्र.)

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 711वीं बैठक दिनांक 09.03.2022 को निम्नानुसार निर्णय लिया गया

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 555वीं बैठक दिनांक 24.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 555वीं बैठक दिनांक 24.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एकल प्रमाण पत्र क्रं. 5711 दिनांक 17.11.2021 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत है, जिसका रकबा 1.236 हेक्टेयर होना दर्शित है, यद्यपि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार कुछ ओर अन्य खदान होना परिलक्षित है, जिससे कुल रकबा 5.0 हेक्टेयर से अधिक हो रहा है, जिसके कारण प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत होना प्रतीत होता है। अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाडा द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानों की अद्यतन स्थिति की जानकारी 15 दिवस में प्राप्त की जाये, तदानुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्ता निर्णयानुसार, प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानों की अद्यतन स्थिति की जानकारी 15 दिवस में SEIAA कार्यालय को प्रेषित करें। तदनुसार प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 3547 /SEIAA/2022

दिनांक -24-3-22

प्रतिलिपि:-

श्री तरनजीत सिंह बेदी आत्मज स्व. श्री अमरजीत सिंह बेदी, निवासी श्याम टाकीज, तहसील एवं जिला छिंदवाडा (म.प्र.) ।

(अलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी